कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

3151
अवर सचिव
7.3.17

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

ss (UPM)

06 MAR 2017

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, मेहसी
जिला– पूर्वी चम्पारण

महाशय,

नगर पंचायत, मेहसी के वित्तीय वर्ष 17.09.2008 से 2015–16 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 1081 / 16–17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाये जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

– ह0–

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0/14647/457 दिनांक– 28.2.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण

सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग ★ बिहार, पटना ★
पत्र पंजी
7 MAR 2017
2055
संख्या............

28/02/17

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना

निरीक्षण प्रतिवेदन सं.–1081/16–17

भाग- I

प्रस्तावना

1	निरीक्षित कार्यालय का नाम	–	नगर पंचायत, मेहसी (पूर्वी चम्पारण)
2	लेखापरीक्षा की अवधि	–	17.09.2008 से 2015-16
3	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	–	अंकेक्षण में प्रस्तुत एवम् जाँच किये गए पंजियों और अभिलेखों की सूची परिशिष्ट-I में तथा अप्रस्तुत पंजियों और अभिलेखों की सूची परिशिष्ट-II पर दी गई है
4	लेखापरीक्षा की तिथि	–	24.12.2016 से 30.12.2016
5	**प्रशासन**		
(i)	कार्यपालक पदाधिकारी का नाम	–	1. श्री आशीष नारायण- स्थापना से 18.11.2009 2. श्री राजेश्वर प्रसाद- 18.11.2009 से 22.04.2010 3. श्री अनिल कु पाण्डेय- 19.08.2010 से 30.11.2010 4. श्री अजय कुमार - 30.11.2010 से 10.03.2013 5. श्रीमती निवेदिता कुमारी- 10.03.2013 से 04.03.2014 6. मो. जफ्फर अंसारी- 04.03.2014 से 24.11.2014 7. मो. इस्माईल अंसारी- 24.11.2014 से 15.04.2015 8. श्री महेश्वर प्र. सिंह - 15.04.2015 से 28.08.2015 9. मो. इस्माईल अंसारी- 28.08.2015 से 31.03.2016
(ii)	अध्यक्ष का नाम	–	1. श्रीमती प्रीती कुमारी- स्थापना से अगस्त .2011 2. श्रीमती शान्ति देवी- अगस्त .2011 से 2014 3. नसीमा खातून- 2014 से अक्टूबर 2016
(iii)	उपाध्यक्ष का नाम	–	1. श्रीमती जनिसा खातून- स्थापना से अगस्त .2011 2. श्री सीताराम चौधरी- अगस्त .2011 से 2014 3. श्री संजय कुमार- 2014 से अक्टूबर 2016
6	लेखापरीक्षा दल के सदस्य	–	1. श्री नीरज कुमार सिंह, वरीय लेखापरीक्षक 2. श्री संजय कुमार कुशवाहा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी 3. श्री विश्वपति सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
7	निरीक्षण पदाधिकारी का नाम	–	कोई नहीं
8	पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन का अनुपालन	–	प्रथम लेखापरीक्षा

9	कार्यपालक पदाधिकारी से विचार विमर्श	–	दिनांक 30.12.2016
10	**लेखापरीक्षा का परिणाम**		
	अंकेक्षण के दौरान वसूल की गई राशि	–	---
	वसूली हेतु सुझाई गई राशि	–	5423180
	आपत्ति के अधीन रखी गई राशि **(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट- X पर)**	–	5281684

कंडिका संख्या-11 नगर पंचायत मेहसी द्वारा बजट तैयार नहीं किया जाना ।

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 82 से 85 में नगरपालिका का बजट बनाने, उसकी मंजूरी तथा बजट अनुदान में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किये गये हैं। इसके अनुसार प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को अथवा तत्पश्चात यथा सम्भव शीघ्र बजट प्राक्कलन नगरपालिका के समक्ष पेश करना है। नगरपालिका बजट प्राक्कलन और इस पर सशक्त स्थायी समिति की अनुशंसा, यदि कोई हो पर विचार करेगी तथा प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक ऐसे परिवर्तनों के साथ आगामी वर्ष हेतु बजट प्राक्कलन अंगीकार करेगी जैसा वह आवश्यक समझे और इस प्रकार अंगीकृत बजट राज्य सरकार को भेजेगी। यथा स्थिति राज्य सरकार उपरोक्त उपधारा के अधीन प्राप्त बजट प्राक्कलन राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता से सम्बद्ध उपबंधों में परिवर्तन के साथ अथवा बिना परिवर्तन के उस वर्ष के मार्च की 31 तारीख के पूर्व नगरपालिका को लौटा देगी। परन्तु नगर पंचायत, मेहसी द्वारा प्रारम्भ से वित्तीय वर्ष 2015–16 तक का बजट बनाया ही नही गया। कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2016–17 से बजट तैयार किया जा रहा है।

कंडिका संख्या-12 **सरकारी अनुदान**

कार्यालय द्वारा **वर्षवार** प्राप्त **आवंटनों की विवरणी** उपलब्ध कराई गयी **है जिसके अनुसार** प्रारम्भ **से** वित्तीय वर्ष 2015-16 तक **कार्यालय को कुल** रू. 218664912 **(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट- III पर संलग्न)** का आवंटन प्राप्त हुआ | **यहाँ स्पष्ट करना है कि लेखापाल रोकड़ बही** का संधारण उचित तरीके से नहीं किया गया **था**। आय– व्यय का वर्गीकरण अपठनीय **था** जिसे आय पक्ष का आवंटन, स्वयं का स्रोत अन्य राशि तथा व्यय पक्ष का योजना, स्थापना तथा अन्य की राशियों का अलग– अलग निकालना संभव नहीं था ।

कंडिका संख्या-13 **वित्तीय संव्यवहार**

नगर पंचायत, मेहसी, पूर्वी चम्पारण द्वारा लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करायीगयी विभिन्न मदों की लेखापाल रोकडबही, दो सहायक रोकडबही तथा पी0एल0ए0 रोकड़ बही के अनुसार आय– व्यय निम्न है:–

आय–व्यय विवरणी									
लेखापाल रोकड़बही और PLA 193 नगर पंचायत मेहसी का वित्तीय अधिदृश्य									
	वित्तीय वर्ष		27.07.2009 से 31.03.2010	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	प्रारंभिक शेष		0	692298	7430248	14644413	27763267	42452063	51220687
	वर्ष में प्राप्ति								
	I	आवंटन से प्राप्ति	682298	8923756	11087352	21020529	23179699	21012887	132758391
	II	स्वयं के स्रोत	10000	404400	278330	65050	348320	720276	1159660
	III	अन्य	0	107475	190376	284808	893474	515723	111782
3	कुल प्राप्ति (I+II+III)		692298	9435631	11556058	21370387	24421493	22248886	134029833
4	कुल उपलब्ध राशि (1+3)		692298	10127929	18986306	36014800	52184760	64700949	185250490
5	व्यय								
	I	योजना पर व्यय	0	2673507	3974241	6189744	8336986	10541268	11711527
	II	स्थापना पर व्यय	0	23874	367652	2033989	1384690	2937767	3029397
	III	अन्य व्यय	0	300	0	27800	11021	1227	0
6	कुल व्यय (I+II+III)		0	2697681	4341893	8251533	9732697	13480262	14740924
7	अन्तशेष (4–6)		692298	7430248	14644413	27763267	42452063	51220687	170509566

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट- III पर संलग्न)

बैक का नाम एवं खाता संख्याः–SBI Mehsi 30976884951, SBI Mehsi 31561282189, SBI Mehsi 31561275397, UBGB 1001881030004177,

PNB-5974000100020314, PNB-5974000100020305, PNB-5974000100044253, PNB- 5974000100044244, PNB- 5974000100000024.

पी0एल0ए0 खाता संख्याः–

PLA-193

रोकड़–बही का अंतशेष– 170509566

बैंक खाता का अंतशेष– 168077867

अंतर की राशिः– 2431699

बैंक समासोधन विवरणी **परिशिष्ट- iv** संलग्न है। फिर भी रू. 910 के अन्तर का समाधान नहीं हो सका।

कंडिका संख्या- 14 रोकड़ बही की त्रुटियाँ

नगर पंचायत, मेहसी, पूर्वी चम्पारण द्वारा लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करायी गयी लेखापाल रोकडबहियों तथा कोषागार रोकडबही के अनुसार आय– व्यय संलग्न है। **रोकड़बही के जाँच में** व्यापक त्रुटियॉ **दृष्टिगोचर हुयी** जो इस प्रकार हैः–

1. मदवार सहायक रोकडबही का संधारण नहीं किया गया है ।
2. नियमानुसार प्रत्येक मद का अलग– अलग बैंक खाता होना चाहिए लेकिन नगर पंचायत, मेहसी में एक ही बैंक खाता में कई मदों की राशि रखी गई है।

3. लेखापाल रोकड़बही का प्रतिदिन closing नहीं करना तथा एक ही बार कई दिनों का आय–व्यय एक ही साथ लिखा गया है ।

4. दिनांक 15.04.15 से लेखापाल रोकडबही में सिर्फ मद एवं कुल राशि का उल्लेख किया है, उद्येश्यवार आय व्यय का पूर्ण विवरण नहीं दिया गया है ।

5. वर्ष के अंत में वार्षिक कुल आय एवं व्यय दर्ज नहीं था।

6. आय व्यय का पूर्ण विवरण नहीं पाया गया।

7. कार्यालय द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन मद मे अग्रिम के रूप में दी गई राशि रू. 25,82,000 लेखापाल रोकडबही में नही लिया गया है।

8. वित्तीय वर्ष 2015–16 में मार्च क्लोजिंग के समय पृष्ठ संख्या 35 पर शीर्ष जलापूर्ति में रू 762976 की जगह रू. 834664 ली गई है। अंतर राशि–रू.71688

9. लेखापाल रोकडबही, पी0एल0ए0 तथा बैंक में सामाहित राशि रू. 515039 किस मद/शीर्ष की है। कार्यालय द्वारा स्पष्ट नहीं कराया गया।

10. रोकड़बही में अनेक जगहों पर कटिंग, **फ्लूड का प्रयोग**, तथा ओभरराइटिंग, किया गया

कार्यालय द्वारा जबाव दिया गया कि उपर्युक्त विन्दुओं का सामाधान करते हुए लेखापरीक्षक कार्यालय को सूचित कर दिया जाएगा। अतः **उपर्युक्त त्रुटियों का निवारण** करके **अगले लेखापरीक्षा दल को प्रस्तुत किया जाए**|

कंडिका संख्या- 15 वार्षिक लेखा का संधारण नहीं

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 86 तथा 88 में क्रमशः लेखा संधारण तथा वित्तीय विवरण तैयार करने का प्रावधान किया गया है। धारा 88 के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के चार माह के भीतर एक वित्तीय विवरण तैयार करना है जिसमें नगरपालिका लेखा के मद्दे पूर्ववर्ती वर्ष का आय–व्यय लेखा तथा प्राप्तियों एवं अदायगियों को अंतर्विष्ट करना है। इसके अतिरिक्त बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम–120 के अंतर्गत प्राप्ति एवं भुगतान का मासिक विवरण बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या–71 में तैयार करना है तथा नियम–122 के तहत प्राप्ति तथा भुगतान लेखा बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या–71, आय तथा व्यय विवरण बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या–73 एवं आर्थिक चिट्ठा बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या–74 में संधारित करना है। लेकिन नगर **पंचायत** द्वारा , मेहसी **प्रारम्भ से** वित्तीय वर्ष 2015–16 का न तो वित्तीय विवरण तथा न ही वार्षिक लेखा का संधारण किया गया था।

वार्षिक लेखा के संधारण नहीं किए जाने के कारणों के जवाब में कार्यालय द्वारा जबाव दिया गया कि वार्षिक लेखा का संधारण कर अगले लेखापरीक्षा दल को प्रस्तुत किया जाएगा । **अतः वार्षिक लेखा के संधारण कर अगले लेखापरीक्षा दल को दिखलाया जाएगा ।**

कंडिका संख्या-16 (क) बजट की अर्द्धवार्षिक समीक्षा नहीं

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम–139 के अनुसार नगरपालिका लेखा समिति बजट की अर्द्धवार्षिक समीक्षा कर यह जाँच करेगी कि बजट निर्देशित मार्ग पर ही हो रहा है एवं बजट वास्तविक तथा प्राप्त करने लायक है। साथ ही, समिति यह भी देखेगी कि बजट के विश्लेषण में वास्तव में पॉच प्रतिशत से अधिक विचलन नहीं है।

लेकिन अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत, मेहसी, पूर्वी चम्पारण उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत बजट की अर्द्धवार्षिक समीक्षा नहीं की गयी थी तथा बजट प्राक्कलन एवं वास्तविक आय– व्यय में अत्यधिक अंतर था।

कार्यालय द्वारा जबाव मे बताया गया कि आगे से इसका अनुपालन किया जाएगा। **अतः कार्यालय द्‌वारा बजट का अर्धवार्षिक समीक्षा किया जाय |**

(ख) बजट प्राक्कलन निर्धारित अवधि में पारित नहीं किया जाना

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 82 से 85 में नगरपालिका का बजट बनाने, उसकी मंजूरी तथा बजट अनुदान में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किये गये हैं। इसके अनुसार प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को अथवा तत्पश्चात यथा सम्भव शीघ्र बजट प्राक्कलन नगरपालिका के समक्ष प्रस्तुत करना है। नगर निगम, बजट प्राक्कलन और इस पर सशक्त स्थायी समिति की अनुशंसा, यदि कोई हो पर विचार करेगी तथा प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक ऐसे परिवर्तनों के साथ आगामी वर्ष हेतु बजट प्राक्कलन अंगीकार करेगी जैसा वह आवश्यक समझे और इस प्रकार अंगीकृत बजट राज्य सरकार को भेजेगी। यथा स्थिति राज्य सरकार उपरोक्त उपधारा के अधीन प्राप्त बजट प्राक्कलन राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता से सम्बद्ध उपबंधों में परिवर्तन के साथ अथवा बिना परिवर्तन के उस वर्ष के मार्च की 31 तारीख के पूर्व नगर निगम को लौटा देगी।

कार्यालय नगर पंचायत, मेहसी, पूर्वी चम्पारण कार्यालय द्वारा बजट प्राक्कलन नियत समय पर बनाकर सरकार के अनुमोदन के लिए नहीं भेजा गया था तथा न ही सरकार द्वारा बजट प्राक्कलन पर विचार कर उसे लौटाया गया था।

कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2016–17 से बजट प्राक्कलन निर्धारित अवधि में पारित किया जा रहा है। **अतः कार्यालय द्‌वारा बजट प्राक्कलन निर्धारित अवधी में पूरा किया जाय |**

(ग) बजट प्राक्कलन निर्धारित प्रपत्र में नहीं बनाया जाना

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम–136 के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु नगरपालिका की अनुमानित प्राप्ति तथा भुगतान का वार्षिक अनुमान बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या–77 में तैयार किया

जाना है। इसके अतिरिक्त नियम–134(10) के अनुसार बजट प्राक्कलन से संबंधित विवरणों को बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या–75 से 80 के प्रारूप में बनाया जाना हैलेकिन नगर पंचायत, मेहसी, पूर्वी चम्पारण द्वारा पारित बजट निर्धारित प्रपत्रों में नहीं बनाया गया था।

कार्यालय द्वारा जबाव में बताया गया कि विभाग द्वारा भेजे गये विहित प्रपत्र में बजट बनाया जाता है । इसके अलावे सरकार से प्राप्त निर्देश का पालन किया जाएगा ।**अतः कार्यालय द्वारा बजट प्राक्कलन निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर लेखापरीक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय |**

कंडिका संख्या- 17 सामान्य अभियुक्ति

नगर **पंचायत** मेहसी **का** लेखा का संधारण संतोषप्रद नही था। इसमें सुधार की आवश्यकता है। अनुदान पंजी, अनुदान विनियोग पंजी, इत्यादि का संधारण नहीं किया गया था। मोबाईल टावर तथा सैरातों की वसूली हेतु अपेक्षित प्रयास की आवश्यकता थी। **योजनाओं का कार्यान्वयन नियमानुसार नहीं किया जा रहा है** । प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि इन अभिलेखों का संधारण करवाया जाए। कार्यालय द्वारा सरकारी अनुदानों की राशि को अवरोधित रखने की की प्रवृत्ति पायी गयी तथा अनुदानों का पूर्ण उपयोग नही किया जा रहा था। कार्यालय द्वारा बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के अनुपालन में लेखाओं का संधारण नहीं किया गया था। अतः सुझाव दिया जाता है कि लेखाओं का संधारण नियमानुकूल किया जाए।

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र
<u>DISCLAMER CERTIFICATE</u>

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधरित है। कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना लेखापरीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग– II क– शून्य

भाग– II ख

कंडिका संख्या-1 अपूर्ण योजनाओं पर निष्फल व्यय-रू 34.00 लाख

नगर पंचायत मेहसी(पूर्वी चम्पारण) के योजना संचिका एवम् कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गए योजना विवरणी के जांच में पाया गया कि वितीय वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 की बहुत सारीयोजनायें अभी अपूर्ण है जिसकी विवरणी निम्न है-

क्र.सं.	वितीय वर्ष	योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं पर भुगतान
01	2010-11	03	1260258
02	2011-12	03	470758
03	2012-13	05	1669088
कुल		**11**	**3400104**

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट- V पर संलग्न)

उपर्युक्त विवरणी से स्पष्ट है कि लगभगतीन से छः वर्ष पुरानी योजनायें अभी तक अपूर्ण है जिन पर कार्यालय द्वारा रू 34,00,104 का भुगतान भी कर दिया गया है | संचिका में कार्य अवधि विस्तार हेतु आवेदन से संबंधित प्रमाण नहीं पाया गया |

अंकेक्षण आपत्ति-

1. उपलब्ध कराये गए संचिका एवम् विवरणी के अनुसार उपर्युक्त योजनाओं को तीन से छः वर्ष पूर्व ही समाप्त हो जाना चाहिए था मगर कार्य अभी तक अपूर्ण है | कार्यालय द्वारा जबाव में बताया गया कि संवेदकों को कार्य के प्रति उदासीनता के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका । संवेदकों को नोटिस दिया गया है ।
2. यह पूछे जाने पर कि अगर कार्य अभी पूर्ण भी होता है तो क्या उसका गुणवता प्रभावित नहीं होगी | कार्यालय द्वारा जबाव में बताया गया कि गुणवत्ता प्रभावित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है ।
3. इतने पुराने अपूर्ण कार्यों पर किया गया व्यय रू 34,00,104 क्यों न निष्फल माना जाय के जबाव में कार्यालय द्वारा बताया गया कि कार्य पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

उपरोक्त जवाब से स्पष्ट है कि चार से सात वर्ष पुराने योजना अभी तक अपूर्ण है जो कि अब उस दर पर कर पाना संभव नहीं है | अतः अपूर्ण कार्यों पर निष्फल व्यय की राशि रू 34,00,104 सम्बंधित जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूलनीय है ।

कंडिका संख्या- 2 कार्यालय द्वारा अनियमित क्रय-11.36 रू लाख

कार्यालय नगर पंचायत, मेहसी(पूर्वी चम्पारण) के सामग्रियों के क्रय से सम्बंधित संचिका के जाँच के क्रम में पाया गया कि दिनांक 29.08.2009 को निर्वाचित मंडल की बैठक के प्रस्ताव संख्या-8 एवम् सशक्त स्थायी समिति की दिनांक 30.04.2011 को आहूत बैठक के प्रस्ताव संख्या-9 में तेरहवीं वित्त आयोग मदसे क्रय करने के निर्णय के आलोक में 10.07.2011 को समाचार पत्र में सामानों के क्रय हेतु निविदा प्रकाशित की गयी जिसे खोले जाने की अंतिमतिथि दिनांक 11.07.2011 निर्धारित थी | क्रय किए गए सामानों की विवरणी निम्न है-

क्र.सं.	सामग्री का नाम	मात्रा
01	ट्रैक्टर (हाईड्रोलिक) टेलर के साथ (डबल सिलेन्डर)	1
02	सेक्शन मशीन (टंकी के साथ)	1
03	जेनेरेटर(5 के.वी.)	1
04	कंप्यूटर	2
05	प्रिंटर, फैक्स, स्कैनर, कॉपियर	1

बिहार वित्तीय (संशोधित) नियमावली, 2005 के नियम- 131H (V में किए गए प्रावधान के अनुसार निविदा प्रकाशन की तिथि से इसके प्राप्त किये जाने के लिए न्यूनतम तीन सप्ताह का समय निर्धारित किया जाना है जबकि कार्यालय द्वारा निविदा प्रकाशन की तिथि से इसके प्राप्ति के लिए मात्र छः दिन का समय निर्धारित किया गया है |

नगर विकास एवम् आवास विभाग के पत्रांक-2409 दिनांक 01.10.2013 में स्पष्ट उद्धृत है कि बिहार नगरपालिका अधिनिय, 2007 की धारा- 75 के अनुसार नगरपालिका निधि से भुगतान नहीं किया जाएगा जब तक कि वह बजट अनुदान में सम्मिलित न हो |

विभाग के पत्रांक- 678 दिनांक 06.08.2007 के आलोक में निर्णय लिया गया है कि नगर निकायों के क्रय समिति में जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनित ए.डी.एम. स्तर के पदाधिकारी सदस्य होंगे मगर नगर पंचायत मेहसी में इस तरह का कोई प्रमाण नहीं पाया गया |

तकनीकी निविदा एवम् वित्तीय निविदा अलग-अलग तैयारकिए जाने का प्रावधान है | तकनीकी निविदा में असफल निविदाकर्ता का वित्तीय निविदा नहीं खोला जाता | संचिका के अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि तीन निविदाताओं (1. आर.के. इंटरप्राईजेज, 2. संगम इंजीनियरिंग वर्क्स और3.अपना ट्रैक्टर एजेंसी) द्वारा निविदा समर्पित किया गया | तकनीकी निविदा एवम् वित्तीय

निविदा अलग-अलग तैयार नहीं किया गया है | कार्यालय द्वारा जो तुलनात्मक विवरणी बनायी गई है उसमें "अपना ट्रैक्टर एजेंसी" को नहीं लिया गया है |

तुलनात्मक विवरणी में आर.के. इंटरप्राईजेज एवम् संगम इंजीनियरिंग वर्क्स के बीच तुलना किया गया मगर संगम इंजीनियरिंग वर्क्स की निविदा इस कारण रद्द कर दी गई कि इनके द्वारा जमानत की राशि जमा नहीं की गई थी | यानि संचिका के अनुसार निविदा एकल हो गई | अतः इस परिस्थिति में पुनः निविदा आमंत्रित की जानी चाहिए थी मगर कार्यालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया |

कार्यालय द्वारा जो तुलनात्मक विवरणी तैयार किया गया वह क्रय समिति के सदस्य या फिर सशक्त स्थायी समिति के सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित नहीं था |

संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि अपना ट्रैक्टर एजेंसी एवम् आर.के. इंटरप्राईजेज द्वारा ट्रैक्टर का एक सामान दर रू 435640 कार्यालय को दिया गया | यहाँ स्पष्ट करना है कि अपना ट्रैक्टर एजेंसी आयसर ट्रैक्टर का प्राधिकृत विक्रेता है जबकि आर.के. इंटरप्राईजेज आयसर ट्रैक्टर का प्राधिकृत विक्रेता नहीं था | आर.के. इंटरप्राईजेज द्वारा आयसर ट्रैक्टर का क्रय श्री मंगल ट्रैक्टर से किया गया जो स्पष्ट करता है कि आर.के. इंटरप्राईजेज आयसर ट्रैक्टर का प्राधिकृत विक्रेता नहीं था |

आर.के. इंटरप्राईजेज द्वारा आयसर जेनेरेटर, एच.पी. कम्प्यूटर और प्रिंटर की भी आपूर्ति की गई मगर संचिका से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि आर.के. इंटरप्राईजेज आयसर जेनेरेटर एवम्एच.पी. कम्प्यूटर और प्रिंटर का प्राधिकृत विक्रेता था |

आयसर जेनेरेटर को लौटा दिया गया था और उसपर किए गए व्यय रू 59700 + 3550 (वैट) का समायोजन सेक्शन मशीन के भुगतान से किया गया |

सामग्री क्रय पर किए गए भुगतान एवम् कटौती की विवरणी निम्न है-

क्र. सं	सामग्री का नाम एवम् विशिष्ठिता	आपूर्तिकर्ता	मूल्य प्रति इकाई	अदद	कुल मूल्य	सम्बेदक को भुगतान	चेक सं	दिनांक	वैट की राशि (5%)	कुल भुगतान	अभियुक्ति
01	आयसर जेनेरेटर	आर.के. इंटरप्राईजेज	59700	01	59700	178400	641291	06.09.11	3550		आयसर जेनेरेटर लौटाने के बाद राशि 59700एवम वैट की राशि रु 3550 सेक्शन मशीन के भुगतान में ले ली गई है
02	एच.पी. कम्प्यूटर	आर.के. इंटरप्राईजेज	43700	02	87400					118700	
03	एच.पी. प्रिंटर	आर.के. इंटरप्राईजेज	27300	01	27300						
04	यू.पी.एस.	आर.के. इंटरप्राईजेज	2000	02	4000						
05	आयसर ट्रैक्टर	आर.के. इंटरप्राईजेज	435640	01	435640	414895	BB 449502	12.10.11	20745	435640	
06	हाईड्रोलिक ट्रेलर	आर.के. इंटरप्राईजेज	147000	01	147000	139650	BB 449502	12.10.11	7350	147000	
07	सेक्शन मशीन 400 ली	आर.के. इंटरप्राईजेज	435000	01	435000	130000	641296	13.03.12	21750	435000	
						150000	641297	21.06.12			
						70000	641300	25.10.12			
						59700 + 3550		आयसर जेनेरेटर की राशि का समायोजन यहाँ पर कर लिया गया है			
					कुल 1196040	1082945			53395	1136340	

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट- VI पर संलग्न)

कार्यालय द्वारा कुछ सामान के क्रय पर विक्री कर की कटौती नहीं की गई है जिसकी विवरणी निम्न है-

क्र.सं.	सामान का नाम	विपत्र की राशि	नहींकाटी गई विक्री कर
01	एच.पी.कम्प्यूटर	87400	4370
02	एच.पी. प्रिंटर	27300	1365
03	यू.पी.एस.	4000	200
कुल		**118700**	**5935**

अंकेक्षण आपत्ति

1. बिहार वितीय (संशोधित) नियमावली, 2005 के नियम- 131H (V में किए गए प्रावधान के अनुसार निविदा प्रकाशन की तिथि से इसके प्राप्त किये जाने के लिए न्यूनतम तीन सप्ताह का समय निर्धारित किया जाना है जबकि कार्यालय द्वारा निविदा प्रकाशन की तिथि से इसके प्राप्ति के लिए मात्र एक दिन का समय निर्धारित किया गया था । कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि जानकारी के आभाव में ऐसा नहीं हो सका। आगे से इसका पालन किया जाएगा।

2. यह पूछे जाने पर कि क्या कार्यालय द्वारा क्रय समिति का गठन किया गया है एवम् निविदा निष्पादन के दौरान जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनित ए.डी.एम. स्तर के पदाधिकारी सदस्य

रूप में उपस्थित थे । कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि कय समिति का गठन नहीं किया गया था तथा निविदा निष्पादन के दौरान कोई जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनित ए.डी.एम. स्तर के पदाधिकारी सदस्य रूप में उपस्थित नहीं थे । ।

3. गारंटी/ वारंटी की अवधि तक के लिए उपकरण के मूल्य का 5% राशि जमानत के रूप में रख जाना चाहिए था मगर जमानत की राशि की कटौती कार्यालय द्वारा नहीं की गई थी | कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि जानकारी के आभाव में ऐसा नहीं हो सका । आगे से इसका पालन किया जाएगा ।

4. अपना ट्रैक्टर एजेंसी आयसर ट्रैक्टर का प्राधिकृत विक्रेता है को तुलनात्मक विवरणी में शामिल नहीं करने के सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि जानकारी के आभाव में ऐसा नहीं हो सका । आगे से इसका पालन किया जाएगा ।

5. आर.के. इंटरप्राईजेज आयसर ट्रैक्टर का प्राधिकृत विक्रेता नहीं था कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि जानकारी के अभाव में ऐसा नहीं हो सका जो कि तर्क संगत नहीं है |

6. कार्यालय से यह पूछे जाने पर कि क्या आर.के इंटरप्राईजेज एच.पी. कंप्यूटर एवम् प्रिंटर का अधिकृत विक्रेता है तो कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि आर.के इंटरप्राईजेज एच.पी. कंप्यूटर एवम् प्रिंटर का अधिकृत विक्रेता नहीं है ।

7. तकनीकी निविदा एवम् वितीय निविदा की तुलनात्मक विवरणी अलग-अलग तैयार नहीं करने के सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि जानकारी के अभाव में ऐसा नहीं हो सका ।

8. तुलनात्मक विवरणी क्रय समिति के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होने के सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि क्रय समिति का गठन नहीं किया गया था ।

9. निविदा खोलते समय क्रय समिति के सदस्य, कोई तकनीकी व्यक्ति क्यों नहीं उपस्थित थे । इस सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि जानकारी के आभाव में ऐसा नहीं हो सका । आगे से इसका पालन किया जाएगा ।

10. नगर विकास एवम् आवास विभाग के पत्रांक-2409 दिनांक 01.10.2013 में स्पष्ट उद्धृत है कि बिहार नगरपालिका अधिनिय, 2007 की धारा- 75 के अनुसार नगरपालिका निधि से भुगतान नहीं किया जाएगा जब तक कि वह बजट अनुदान में सम्मिलित न हो | अतःबिनाबजट अनुदान में सम्मिलित किए सामानों का क्रय कैसे किया जा रहा है । इस सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि जानकारी के आभाव में ऐसा नहीं हो सका । आगे से इसका पालन किया जाएगा ।

11. यह पूछे जाने पर कि क्या क्रय किए गए सामानों की विशिष्ठिताओं की जांच तकनीकी व्यक्ति द्वारा किया गया था । इस सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि जानकारी के आभाव में ऐसा नहीं हो सका । आगे से इसका पालन किया जाएगा ।
12. लेखापरीक्षा द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या वैट के रूप कटौती की गई राशि रू 53395 संबंधित विभाग में जमा किया गया या नहीं, जवाब में बताया गया कि वैट की राशि जमा करा दिया गया है ।
13. एच.पी. कंप्यूटर, एच.पी. प्रिंटरएवम् यू.पी.एस. के भुगतान पर विक्री कर रू 5935 की कटौती नहीं किए जाने के सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि भूलवश राशि की कटौती नहीं किया जा सका ।

कार्यालय द्वारा दिए गए उपर्युक्त बिन्दुओं के जवाब से स्पष्ट है कि कार्यालय द्वारा क्रय अनियमित ढंग से किया है | अधिकांश जवाब में कार्यालय दवारा अनियमित क्रय को स्वीकार किया जा रहा है | जवाब में बताया गया है कि जॉचोंपरान्त जवाब दिया जाएगा या जानकारी के आभाव में ऐसा नहीं हो सका। आगे से इसका पालन किया जाएगा। अतः जब तक संतोषप्रद जवाब नहीं दिया जाता रु 1136340 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है |

कंडिका संख्या-3 बिना 'एम' एंड 'एन' फॉर्म में सर्टिफिकेट प्राप्त किए सम्बेदक को दुलाई चार्ज का भुगतान- रू 41.45लाख

बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली 1972 के नियम 40(10) के अनुसार संवेदक को सिर्फ अनुज्ञप्तिधारी तथा प्राधिकृत विक्रेता से ही खनीजों की क्रय की जानी है। निर्माण विभाग को संवेदक से कोई भी बिल तब तक प्राप्त नहीं करनी चाहिए जब तक कि बिल के साथ फार्म एन. में निर्माण कार्य में इस्तेमाल किए गए खनिज की विवरणी के साथ फार्म एम. में शपथ पत्र की छायाप्रति संलग्न न हो।

नगर पंचायत, मेहसी (पू.च.) द्वारा उपलब्ध कराये गए योजना विवरणी एवम् योजना अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि किसी भी कार्य में संवेदक द्वारा एम. तथा एन. फार्म प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही किसी भी प्रकार का ट्रांसपोर्ट चालान ही समर्पित किया गया ताकि यह पता चल सके कि कार्य में प्रयुक्त सामग्री कहाँ से एवं कितनी दूरी से लायी गयी है। ऐसा हो सकता है कि सामग्री स्थानीय बाजार से क्रय किया गया हो और इसके बावजुद कैरेज चार्ज लिया गया हो जो नियम के प्रतिकूल है ।

ऊपर वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए नगर पंचायत मेहसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2015-16 के दौरान सोन बालू तथा स्टोन चिप्स के दुलाई पर कुल रु 4145344 का भुगतान किया गया जिसकी विवरणी निम्न है -

क्र सं	वित्तीय वर्ष	सोन बालू पर दुलाई व्यय	स्टोन चिप्स पर दुलाई व्यय	कुल
01	2010-11	376355	520715	897070
02	2011-12	223682	251347	475029
03	2012-13	235717	365484	601201
04	2013-14	386338	680394	1066732
05	2014-15	27899	45240	73139
06	2015-16	335203	696970	1032173
कुल		**1585194**	**2560150**	**4145344**

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट- VII पर संलग्न)

अंकेक्षण आपत्ति-

एम. और एन. फार्म अथवा ट्रान्सपोर्ट चालान के अनुपलब्धता से यह पता नहीं चला कि कार्य में प्रयुक्त खनिज किस स्रोत तथा कितनी दूरी से लायी गयी है। बिना उपरोक्त कागजात के संवेदक को भुगतान किया जाना नियम के प्रतिकूल है तथा संवेदक को कैरेज चार्ज के रूप में अनुचित फायदा पहुँचाना प्रतीत होता है।

लेखापरीक्षा दल द्वारा पूछे जाने पर कि संवेदक को बिना एम. एंड एन फॉर्म जमा किए उभुगतान क्यों किया गया, कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि जानकारी के आभाव में बिना एम और एन फॉर्म के सर्टिफिकेट प्राप्त किए बिना संवेदक को भुगतान कर दिया गया है। आगे से इसका ध्यान रखा जाएगा ।

जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि कार्यालय को एम. एंड एन. फॉर्म की जानकारी होनी चाहिए थी | अतः बिना एम. एंड एन. फॉर्म के भुगतान की गयी राशि रु 41,45,344 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है |

कंडिका संख्या-4 सैरातों की बंदोवस्ती का एकरारनामा स्टाम्प पेपर पर नहीं होने से राजस्व की हानि- रु :0.43 लाख

इण्डियन निबंधन अधिनियम 1908 की धारा 17(प) (डी) के अनुसार अचल सम्पत्तियों के बंदोवस्ती का निबंधन अनिवार्य है। इसी अधिनियम के अनुसूची 1(ब) के अनुसार एकरारनामा का पंजीकरण बंदोबस्ती

की राशि के तीन प्रतिशत मूल्य के मुद्रांक पेपर पर होगी। इस संबंध में मुख्य सचिव बिहार सरकार (पत्रांक 1920/रजि0/मु0 सचिव दिनांक 14.08.2002 एवं सचिव सह महानिरीक्षक रजिस्ट्रेशन पत्रांक 549 दिनांक 15.3.2005) के दारा सभी विभागों को पूर्व में ही सूचित किया गया **है** |

म्यूनिसिपल एकाउंट रूल 1928 के अनुसार सैरात पंजी का संधारण नहीं किया गया है जिससे यह पता नहीं चल सका कि **नगर पंचायत मेहसी** में कुल कितने सैरात **है**।

नगर पंचायत **मेहसी** द्वारा उपलब्ध कराये गए **संचिका एवम् विवरणी** के अनुसार सैरात **बंदोबस्ती राशि का 3% मूल्य के** स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा **नहीं** की गयी जिस कारण **सरकार को रू 42,759 के राजस्व की हानि हुयी** । बंदोवस्ती का विवरण निम्न प्रकार है–

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	सैरात का नाम	बंदोबस्ती की राशि	3% का स्टाम्प पेपर की राशि	बन्दोबस्तधारी का नाम
1	2010-11	वाणिज्य वाहन से पार्किंग एवम् सेवा शुल्क	102200	3066	श्रीराज कुमार सिंह
		सड़क किनारे बालू,गिट्टी दूकान से टौल	9100	273	श्री विनय कुमार सिंह
2	2011-12	वाणिज्य वाहन से पार्किंग एवम् सेवा शुल्क	212000	6360	श्री सुरेश्वर प्रसाद गुप्ता
3	2012-13	वाणिज्य वाहन से पार्किंग एवम् सेवा शुल्क	221000	6630	श्री कुणाल कुमार
4	2013-14	वाणिज्य वाहन से पार्किंग एवम् सेवा शुल्क	245500	7365	श्री अशोक कुमार
5	2014-15	वाणिज्य वाहन से पार्किंग एवम् सेवा शुल्क	200250	6008	मो. नबी आलम
		चौक बाज़ार से सेवा शुल्क	45150	1354	श्री लालबाबू प्रसाद
6	2015-16	वाणिज्य वाहन से पार्किंग एवम् सेवा शुल्क	337476	10124	मो. तैयब
		चौक बाज़ार से सेवा शुल्क	52650	1579	श्री लालबाबू प्रसाद
कुल			**1425326**	**42759**	

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट- VIII पर संलग्न)

विवरणी से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 एवम् 2015-16 में उपर्युक्त सैरात की बंदोबस्ती से कुल रु 14,25,326 प्राप्त हुई थी मगर स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा नहीं किये जाने के कारण सरकार को उपर्युक्त बंदोबस्ती राशि का 3% (रु 14,25,326X 3%) यानि रु 42,759 की राजस्व की क्षति हुई । बिना एकरारनामा के ही बन्दोबस्त धारियों को कार्यालय द्वारा परवाना निर्गत किया जाता है जो नियम के प्रतिकूल है|

लेखापरीक्षा आपत्ति

1. **कार्यालय द्वारा बंदोबस्ती पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा था । कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि** जानकारी के अभाव में ऐसा नहीं हो सका। आगे से इसका पालन किया जाएगा।
2. **कार्यालय द्वारा स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा नहीं होने के सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि** जानकारी के आभाव में ऐसा नहीं हो सका। आगे से इसका पालन किया जाएगा।

अतः उपर्युक्त आपत्तियों का अनुपालन कर लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाय | रु 42759 वसूली हेतु सुझाया जाता है ।

कंडिका संख्या-5 सैरातों का बंदोबस्ती या विभागीय वसूली नहीं होने के कारण हानि- रु 1.39 लाख

नगर पंचायत मेहसी (पूर्वी चम्पारण) उपलब्ध कराये गए सैरातों की संचिका के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में सैरातों की बंदोबस्ती हेतु जो सूचना प्रकाशित की गई थी उनमें से तीन सैरातों की बंदोबस्ती हेतु कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं हुए | कार्यालयद्वारा वैसे सैरात जिनकी बंदोबस्ती नहीं हो सकी उसकी विभागीय वसूली अवश्य करायी जानी चाहिए थी जो की कार्यालय द्वारा नहीं की गई | अगर वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारित सुरक्षित जमा राशि को आधार बनाया जाय तो कार्यालय को कम-से-कम रू 138500 की हानि हुई| विवरणी निम्न है-

क्र सं	सैरात का नाम	वर्ष 2011-12 की सु.ज.रा.	वर्ष 2012-13 का न्यूनतम हानि	वर्ष 2013-14 का न्यूनतम हानि	वर्ष 2014-15 का न्यूनतम हानि	वर्ष 2015-16 का न्यूनतम हानि	कुल हानि
1	सड़क किनारे बालू, गिट्टी, छड़ दूकान एवम् ठेला गुमटी दूकान से टौल टैक्स	10600	10600	10600	10600	10600	53000
2	विज्ञापन शुल्क	12500	12500	12500	12500	12500	62500
3	रिक्सा, साईकल, ठेला	4600	4600	4600	4600	4600	23000
	कुल	27700	27700	27700	27700	27700	138500

लेखापरीक्षा दल द्वारा यह पूछे जाने पर कि उपर्युक्त सैरातों का बंदोबस्ती नहीं होने की स्थिति में विभागीय वसूली क्यों नहीं करायी गयी, कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि जानकारी के अभाव में ऐसा नहीं किया जा सका । जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि बंदोबस्ती नहीं होने की स्थिति में विभागीय वसूली की जानी चाहिए थी | अतः ऐसा नहीं किया जाने से कार्यालय को रु 138500 की हानि हुई जो सम्बंधित व्यक्तियों से वसूलनीय है |

कंडिका संख्या-6 संवेदकों से विलम्ब शुल्क की कटौती नहीं- रु17.71लाख

संविदा के शर्तों के कंडिका (2) के अनुसार कार्य पूरा होने में विलंब होने पर प्राक्कलित राशि का 0.5 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अधिकतम 10 प्रतिशत तक विलंब शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया है।

कार्यालय नगर पंचायत, मेहसी (पूर्वी चम्पारण) के द्वारा उपलब्ध कराये गए विभिन्न मदों से क्रियान्वित योजनाओं के विवरणी से स्पष्ट है कि योजनाओं को समय परपूर्ण नही किया गया है। कार्यालय द्वारा विपत्रों के भुगतान करते समय विलंब शुल्क की कटौती नही की गई और कार्यालय द्वारा सम्बेदक को रू 1770620 का अनुचित लाभ पहुंचाया गया | विवरणी निम्नलिखित है-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	योजनाओं की कुल संख्या	पूर्ण योजनाओं की कुल संख्या	नहीं काटी गई विलम्ब की राशि
01	2010-11	11	08	446024
02	2011-12	05	02	275220
03	2012-13	29	24	470294
04	2013-14	46	46	265761
05	2015-16	45	44	313321
कुल				**1770620**

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट- VII पर संलग्न)

लेखापरीक्षा आपत्ति-

लेखापरीक्षा में पृच्छा करने पर कि क्या योजनाओं को इतने विलम्ब से पूर्ण होने कि स्थिति में गुणवत्ता प्रभावित नहीं हुई तथा यह भी कि सबेदकों से विलम्ब शुल्क की कटौती नहीं कर उन्हें अनुचित लाभ क्यों पहुंचाया गया ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा जबाव में बताया गया कि जानकारी के आभाव में प्रतिदिन 5 प्रतिशत अधिकतम 10 प्रतिशत बिलम्ब शुल्क की कटौती नहीं की गई। आगे से नियमानुसार विलम्ब शुल्क की कटौती की जाएगी ।

जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि संवेदकों से विलम्ब शुल्क की कटौती नहीं होने की स्थिति में कार्यालय को रु 1770620 की हानि हुई जो सम्बंधित व्यक्तियों से वसूलनीय है |

कंडिका संख्या-7 योजनाओं से विभिन्न राजस्व शीर्ष मद में कटौती की गई राशि संबंधित शीर्ष में नहीं जमा किया जाना- रू 26.27 लाख

कार्यालय नगर पंचायत मेहसी (पूर्वी चम्पारण) द्वारा उपलब्ध कराये गए योजना विवरणी से स्पष्ट है कि विभिन्न योजनाओं से विभिन्न राजस्व शीर्ष में कटौती की गई राशि संबंधित शीर्ष में जमा नहीं की गई है जिसकी विवरणी निम्नलिखित है-

क्र.सं	वित्तीय वर्ष	कुल व्यय	आयकर	विक्री कर	रॉयल्टी	श्रम उपकर
01	2010-11	5524677	129017	229738	120821	---
02	2011-12	3222321	72822	142551	68896	12756
03	2012-13	6831034	154255	341295	50134	69298
04	2013-14	9116406	206632	456277	60206	94188
05	2014-15	621015	14034	31050	4132	6209
06	2015-16	10315471	233223	516103	104297	103111
	कुल	**35675924**	**809983**	**1717014**	**408486**	**285562**